समक्ष एम.एम. कुमार, न्यायमूर्ति

आर.डी. भारती- याचिकाकर्ता

बनाम

गृह सचिव, यूटी, चंडीगढ और अन्य - उत्तरदाताओं

क्रि। एम. नं. 46827- एम OF 2001

10 दिसम्बर, 2003

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 258, 427, 428 और 458 - निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 - धारा 138 - चेक का अनादर--- कई मामलों में याचिकाकर्ता की दोषसिद्धि - विभिन्न न्यायालयों द्वारा विभिन्न मामलों में अलग-अलग सजा सुनाना - याचिकाकर्ता के खिलाफ लंबित मामलों की संख्या जहां सजा की घोषणा की जानी बाकी है - मजिस्ट्रेट के पास अलग-अलग तारीखों के अलग-अलग आदेशों में आदेश नहीं दिया जाता है कि सजा धारा 427 के प्रावधानों के अनुसार समवर्ती रूप से चलनी चाहिए। शिकायतकर्ताओं को दिए जाने वाले मुआवजे के रूप में या उसके बदले में जुर्माना लगाने के लिए याचिकाकर्ता को आगे की सजा काटनी थी - याचिकाकर्ता जमानत की रियायत के लायक नहीं है - याचिका खारिज की जा सकती है।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ सजा देने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेशों के अवलोकन से पता चलता है कि जुर्माना लगाने का आदेश शिकायतकर्ताओं को दिया गया है, जिसका मतलब यह है कि यह मुआवजे के रूप में लगाया गया है, न कि जुर्माना लगाने वाले के रूप में। इसलिए, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि मजिस्ट्रेट के पास उपरोक्त क्षतिपूर्ति को लागू करने की शक्ति नहीं थी।

इसके अलावा, यह याचिका खारिज करने योग्य है क्योंकि मजिस्ट्रेट ने अलग-अलग तारीखों के अलग-अलग आदेशों में यह आदेश नहीं दिया है कि दंड संहिता की धारा 427 में किए गए प्रावधानों के अनुसार सजा समवर्ती रूप से चलनी चाहिए और न ही याचिकाकर्ता द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष ऐसा कोई अनुरोध किया गया है।

एस.एस. नरूला, एडवोकेट, पेटिशनर के लिए।

प्रतिवादी की ओर से तरुणदीप कुमार, एडवोकेट।

अजय लांबा, वकील, केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ के लिए.

निर्णय

एम.एम. कुमार, न्यायमूर्ति.

1. यह याचिका 90 दिनों के लिए अंतरिम जमानत के लिए प्रार्थना करती है ताकि याचिकाकर्ता को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 138 और अन्य अपराधों के तहत उसके खिलाफ दर्ज कई मामलों में जमानत की मांग करने में सक्षम बनाया जा सके, साथ ही किसी अन्य मामले में अंतरिम जमानत की अवधि के दौरान इस गिरफ्तारी पर रोक लगाई जा सके। बाद में सीआर मिस्क, संख्या 48549/02 और सीआर, 39926/03 जैसे पूरक प्रार्थनाओं द्वारा रिहाई की मांग करते हुए अनुरोध किया गया कि याचिकाकर्ता जेल से रिहा होने का हकदार है क्योंकि उसने विचाराधीन कैदी के रूप में भी सजा पूरी कर ली है, और उन मामलों में दोषी ठहराए जाने की स्थिति में उसे भुगतना पड़ सकता है।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता एन.आई.टी.एल म्यूचुअल बेनिफिट (इंडिया) लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक हैं। इसका प्रधान कार्यालय 9-ए, डीजी-1, विकासपुरी, नई दिल्ली में है। कंपनी ने अधिकतम रिटर्न का आश्वासन देते हुए कई परियोजनाओं में आम जनता से निवेश आमंत्रित किया। देश के विभिन्न हिस्सों से विभिन्न शिकायतकर्ताओं ने शिकायतें दर्ज कराईं, जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने याचिकाकर्ता की कंपनी में अलग-अलग राशि का निवेश किया। पुनर्भुगतान और अपनी प्रवर्तनीय देयता के निर्वहन में, याचिकाकर्ता ने चेक जारी किए थे, जिन्हें अस्वीकार कर दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप कई मामलों में याचिकाकर्ता को दोषी ठहराया गया है। राणा द्वारा एक हलफनामा दायर किया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि याचिकाकर्ता को नौ मामलों में दोषी ठहराया गया है और अलग-अलग सजा सुनाई गई है। शपथ पत्र में दिए गए विवरण निम्नानुसार हैं -

   "(1) सिमरदीप कौर बनाम एनआईटीएल: इस मामले में याचिकाकर्ता को दोषी ठहराया गया था और चंडीगढ़ के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, श्रीमती जितिंदर वालिया की अदालत द्वारा 4 सितंबर, 2001 के आदेश के तहत एक साल के लिए आरआई की सजा सुनाई गई थी। इस मामले में अंडर-ट्रायल अवधि एक वर्ष के रूप में निर्धारित की गई थी, इस प्रकार, सजा को पहले से ही गुजर चुका माना गया है।

(2) दिलबाग सिंह बनाम एनआईटीएल: इस मामले में याचिकाकर्ता को दोषी ठहराया गया था और एक साल के आर.आई. ,-- की सजा सुनाई गई थी।

श्रीमती जितिंदर वालिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,

चंडीगढ़। इस मामले में विचाराधीन अवधि 5 वें महीने और 17 दिन थी और 6 वें महीने 13 दिनों की शेष सजा 17 मार्च, 2002 को पूरी हो गई थी।

3.पवनदीप बनाम एनआईटीएल: इस मामले में याचिकाकर्ता को दोषी ठहराया गया था और श्रीमती जितिंदर वालिया, मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,--, चंडीगढ़ द्वारा पारित 4 सितंबर, 2001 के आदेश के तहत एक वर्ष के लिए आरआई से गुजरने की सजा सुनाई गई थी। इस मामले में ट्रायल अवधि 9 वें महीने और 26 दिन थी और शेष सजा 2 महीने और 4 दिन की होती है जिसे समवर्ती सजा के रूप में समाप्त किया गया था।

विषय: डीआईएलबाग सिंह, पवनदीप सिंह और सिमरदीप कौर बनाम एनआईटीएल म्यूचुअल बेनिफिट्स फंड नामक शिकायत मामलों में आरोपी आरडी भारती को दी गई सजा का स्पष्टीकरण।

कृपया ऊपर उल्लिखित विषय देखें।

आपके दिनांक 13 सितम्बर, 2001 के पत्र सं. 2741 के संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि अभियुक्त की सजाएं साथ-साथ चलेंगी और धारा 428 सीआरपीसी के तहत विचाराधीन अवधि का लाभ 4 सितम्बर, 2000 से उस तारीख तक दिया जाना है जिस दिन आरोपी आर.डी.भारती को पेश करने के लिए जेल में पेशी वारंट प्राप्त हुए थे।

4.अंकुश गर्ग बनाम एनआईटीएल: इस मामले में याचिकाकर्ता को दोषी ठहराया गया और 13 अक्टूबर, 2001 को श्री केके गोयल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चंडीगढ़ के आदेशों के तहत एक साल की आर.आई. की सजा सुनाई गई और 5000 रुपये का जुर्माना या डिफ़ॉल्ट रूप से एक महीने के लिए आरआई की सजा सुनाई गई। इस मामले में रेल की अवधि 7 महीने और 17 दिन है और 4 महीने और 13 दिनों की शेष सजा 30 जुलाई, 2002 को समाप्त हो गई। चूंकि जुर्माना जमा नहीं किया गया था, इसलिए, याचिकाकर्ता ने , इसके

बदले सजा काटने का विकल्प चुना। एक महीना, जो 30 अगस्त, 2002 को संपन्न भी हुआ,

5. सुखबीर बनाम एनआईटीएल : इस मामले में याचिकाकर्ता को 3 नवंबर, 2001 को चंडीगढ़ के प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री फलित शर्मा के आदेश के तहत 7 महीने की सजा काटने और 5,000 रुपये का जुर्माना भरने और इसके चूक में एक महीने के साधारण कारावास की सजा भुगतने का निर्देश दिया गया था। इस मामले period.in विचाराधीन कैदी सजा से अधिक था, इस तरह, सजा से गुजरना माना जाता था। जुर्माने का भुगतान न करने पर एक महीने के साधारण कारावास की शेष सजा 30 सितंबर, 2002 को समाप्त हुई:

6. अभिलाष शंकर बनाम आरडी भारती : इस मामले में याचिकाकर्ता को दोषी ठहराया गया था और पहले से ही 9 महीने और 4 दिनों की अवधि की सजा सुनाई गई थी, जो 1 मार्च, 2002 को श्री फलित शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, चंडीगढ़ द्वारा पारित निर्णय और सजा थी। 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया और एक सप्ताह के लिए साधारण कारावास की सजा सुनाई गई। याचिकाकर्ता द्वारा पहले ही एक सप्ताह का साधारण कारावास काटा जा चुका है।

7. एच.एस. बेदी बनाम एनआईटीएल: इस मामले में याचिकाकर्ता को दोषी ठहराया गया था और 19 मार्च, 2002 के आदेशों के तहत एक वर्ष ,-- लिए आरआई से गुजरने की सजा सुनाई गई थी। इस मामले में विचाराधीन अवधि एक वर्ष से अधिक थी और इसलिए याचिकाकर्ता द्वारा सजा पहले ही काट ली गई है।

8.विद्या वती बनाम एनआईटीएल : इस मामले में याचिकाकर्ता को दोषी ठहराया गया और 19 मार्च, 2002 को चंडीगढ़ के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, श्री पुष्पविंदर सिंह के आदेश के तहत पहले से ही बिताई गई अवधि के लिए सजा सुनाई गई।

9.नीता पठानिया बनाम एनआईटीएल : इस मामले में याचिकाकर्ता को दोषी ठहराया गया है और 2 मार्च, 2002 को श्री गुरविंदर कौर, न्यायिक मजिस्ट्रेट

प्रथम श्रेणी,-- चंडीगढ़ द्वारा पारित आदेश के तहत पहले से ही अवधि काट ली गई है।

3.. विभिन्न न्यायालयों द्वारा आदेशित उपरोक्त दोषसिद्धि के अलावा, याचिकाकर्ता को दिल्ली उपभोक्ता फोरम द्वारा दोषी ठहराया गया है, जिसमें उसे केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत सूची के अनुसार विभिन्न सजाएं सुनाई गई हैं। नीचे के रूप में एक ही पढ़ें:—

"1. शिकायत संख्या एम-1538/99 सजा की तारीख: 7 अप्रैल 2000।

एम-1539/99

एक साल आर.आई.

2. शिकायत संख्या 2100/99 सजा की तारीख : 7 अप्रैल, 2000

M-1405/99

एक साल आर.आई.

3. शिकायत संख्या। एम. 1400/99 सजा की तारीख: 7 अप्रैल, 2000।—

एम 1405/99

एम 1538/99

एम 1539/99

एम 1773/99

एम -1774/99

एम 1775/99

एम 1776/99

एम 1777/99

एम 1778/99

एक साल आर.आई.

4. शिवन रेस्तोगी और शिवा रस्तोगी केस शिकायत संख्या 1211/97 सजा की तारीख: 19 फरवरी 1999।

दो साल आर.आई..

5.शिकायत संख्या एम-2139-2000 1020 /98

हरजिंदर गौतम बनाम आरडी भारती

सजा की तारीख : 17 जून 2000

एक साल आर.आई.

6. शिकायत संख्या 2139/2000 सजा की तारीख । 4 जुलाई, 2001।

2342/2000 .

एक साल आर.आई.

7. शिकायत संख्या 1659 सजा की तारीख। 23 अक्टूबर, 1998।

एक साल का आर.आई..

(4.)उपरोक्त के अलावा, याचिकाकर्ता के खिलाफ पटना (बिहार), दिल्ली, बॉम्बे और चंडीगढ़ में पांच मामले दर्ज किए गए हैं। इसका विवरण निम्नानुसार है: —

"1. एफ.आई.आर. नंबर 42/98

यूआई - 420, 406, 120 बी आई.पी.सी.

पी.एस. - मध्य चंडीगढ़

2. एफ.आई.आर.

संख्या 156/98 यूआई

420/34 1.पी.सी.

पी.एस. गांधी मैदान, पटना (बिहार)

3. एफ.आई.आर. संख्या- 555/97, 574/97,585/97, 644/97

यूआई 420, 406/34 1.पी.सी.

पी.एस. विकास पुरी,

नई दिल्ली।

4. एफ.आई.आर. संख्या 56/97

यूआई 420, 406, 120 बी आई.पी.सी.

पी.एस. जी.बी.सी.बी.सी.टी.डी.

महाराष्ट्र।

5. एफ.आई.आर. संख्या 265/97

यूएस 406, 420, 120 बी आई.पी.सी.
पी.एस. वासी मुंबई महाराष्ट्र।

6. एफ.आई.आर. संख्या 431/97

यूआई 420, 406/34 1.पी.सी.

पी.एस. आटा, मुंबई

महाराष्ट्र।

5. 12 जुलाई, 2002 को दिए गए ब्यौरे के अनुसार, अधीक्षक, मॉडल जेल, चंडीगढ़ ने उन नौ मामलों की एक सूची भी प्रदान की थी जहां याचिकाकर्ता को उसे दी गई सजा के विवरण के साथ दोषी ठहराया गया है, पांच मामले जहां पटियाला की अदालतों द्वारा उसे सजा सुनाई गई है और सात मामले जहां उसे उपभोक्ता न्यायालय द्वारा अलग-अलग सजा सुनाई गई है। दिल्ली। सूची में पटियाला, चंडीगढ़, दिल्ली, फरीदाबाद, मुंबई और बिहार में विभिन्न लंबित मामलों का भी खुलासा किया गया है।

6. नरूला, याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता ने विभिन्न न्यायालयों द्वारा दी गई सजा से अधिक अवधि के लिए महत्वपूर्ण सजा काट ली है क्योंकि सजा साथ-साथ चलनी थी। विद्वान वकील के अनुसार, यहां तक कि उन मामलों में भी जहां याचिकाकर्ता मुकदमे का सामना कर रहा है और क्रिमिनल प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षिप्तता, सीआरपीसी के लिए) की धारा 258 के तहत हिरासत में है, उसे मजिस्ट्रेट द्वारा एक काल्पनिक कथा लागू करके आरोपमुक्त कर दिया जाना चाहिए कि वह पहले ही उस सजा को काट चुका है। वकील ने सीआरपीसी की धारा 428 और 458 पर भरोसा करते हुए तर्क दिया है कि मुंबई, पटना, फरीदाबाद और दिल्ली जैसे अन्य स्थानों पर लंबित मुकदमों के आधार पर मजिस्ट्रेट

द्वारा उन्हें एक बार फिर सजा नहीं दी जा सकती है। अपनी दलील के समर्थन में, विद्वान वकील ने महाराष्ट्र राज्य और एक अन्य बनाम नजाकत आलिया मुबारक अली, (1) के मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर भरोसा किया है। उन्होंने हुसैना खातून और अन्य बनाम गृह सचिव, बिहार राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक अन्य फैसले पर भी भरोसा किया है।

पटना, (2)। विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया है कि धारा के तहत

1. (2001) 6 एस.सी.सी. 311
2. एआईआर 1979 एस.सी. 1377

अधिनियम की धारा 142 और सीआरपीसी की धारा 29 (2) और 357 के साथ पढ़ा जाता है, मजिस्ट्रेट के पास 5,000 रुपये से अधिक जुर्माना लगाने की कोई शक्ति नहीं है। इसलिए, मजिस्ट्रेट द्वारा लाखों रुपये का जुर्माना लगाना याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने के रास्ते में बाधा नहीं बनेगा। उपरोक्त प्रस्ताव के लिए, विद्वान वकील ने पंकजभाई नागजीभी पटेल बनाम गुजरात राज्य और एक अन्य (3) के मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर भरोसा किया है। विद्वान वकील ने यह भी प्रस्तुत किया है कि सजाएं एक साथ चल रही हैं और उन्हें लगातार चलने के लिए नहीं माना जाना चाहिए। वकील ने यह भी तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता 19 फरवरी से हिरासत में है और पहले ही 41/2 साल से अधिक समय तक सजा काट चुका है। केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कुछ अन्य न्यायालयों द्वारा उसके मुकदमे के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किए गए हैं, उसकी हिरासत जारी रखना उचित नहीं होगा। अपनी दलील के समर्थन में, विद्वान वकील ने राम दास राम बनाम बिहार राज्य और एक अन्य (4) और मनोज बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (5) के मामलों में सुपरम कोर्ट के फैसलों पर भरोसा किया है।

7. याचिकाकर्ता ने मजिस्ट्रेट द्वारा उसके खिलाफ सजा सुनाने वाले कुछ फैसलों की प्रतियां भी रिकॉर्ड पर रखी हैं। उन आदेशों के अवलोकन से पता चलता है कि जुर्माना शिकायतकर्ताओं को देने का आदेश दिया गया है, जिसका मतलब यह होगा कि यह मुआवजे के रूप में लगाया गया है, न कि जुर्माने के रूप में। इसलिए, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि मजिस्ट्रेट के पास उपरोक्त मुआवजा लगाने की शक्ति नहीं थी। पंकजभाई नागजीभाई पटेल के मामले (सुप्रा) में फैसला, जिस पर याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा भरोसा किया गया है, उनके लिए कोई औचित्य नहीं होगा क्योंकि धारा 357 सीआरपीसी के तहत, मजिस्ट्रेट को शिकायतकर्ता के पक्ष में आदेश पारित करने की पर्याप्त

शक्ति दी गई है। सीआरपीसी की धारा 357 में उपरोक्त दृष्टिकोण के लिए पर्याप्त समर्थन है, जिसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने के. भास्करन बनाम शंकरन वैध्यन बालन, (6) हरि सिंह बनाम सुखबीर सिंह और अन्य में सुप्रीम कोर्ट ने की है, (7) ने उस प्रावधान के उदार उपयोग की आवश्यकता पर जोर दिया है। यह और भी ध्यान देने योग्य है

---

(3) 2002 (1) ऑल इंडिया क्रिमिनल रिपोर्टर 80

4 एआईआर 1987 एस.सी.

1333 (5) 1999 क्री। एस.जे.

2095

1. (1999) 7 एस.सी.सी.
2. (1988) 4 एस.सी.सी. 551

सीआरपीसी की धारा 357 के तहत इस तरह के मुआवजे की मात्रा तय करने के लिए मजिस्ट्रेट की शक्ति पर कोई सीमा नहीं रखी गई है। तदनुसार, मुझे यह मानने का कोई आधार नहीं मिला कि मजिस्ट्रेट के पास मुआवजे के रूप में जुर्माना लगाने का अधिकार क्षेत्र नहीं था जो विभिन्न मामलों में शिकायतकर्ताओं को भुगतान किया जाना था या इसके बदले में, याचिकाकर्ता को आगे की सजा काटनी थी।

8. केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के वकील ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता जमानत की रियायत या उसे रिहा करने की बढ़ी हुई राहत का हकदार नहीं है क्योंकि शिकायतकर्ताओं को दिए गए मुआवजे का भुगतान न करने के बदले सजा अभी पूरी नहीं हुई है। वकील के अनुसार, ऐसे कई लंबित मामले हैं जहां याचिकाकर्ता मुकदमे का सामना कर रहा है और सजा की घोषणा की जानी बाकी है। वकील ने तर्क दिया है कि नजकात आलिया मुबारक अली के मामले (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून वर्तमान मामले से आकर्षित नहीं होगा क्योंकि कुछ अन्य मामलों में दोषसिद्धि दर्ज की जानी बाकी है और वह केवल एक विचाराधीन कैदी है। विद्वान वकील ने आगे जोर देकर कहा है कि हुसैनारा खातून के मामले (सुप्रा) में फैसले का कोई लाभ याचिकाकर्ता को नहीं दिया जा सकता है।.

.9. पक्षकारों के वकीलों को सुनने के बाद, मेरा विचार है कि यह याचिका खारिज की जा सकती है क्योंकि मजिस्ट्रेट ने अलग-अलग तारीखों के अलग-अलग आदेशों में यह आदेश नहीं दिया है कि दंड संहिता की धारा 427 में किए गए प्रावधानों के अनुसार सजा साथ-साथ चलनी चाहिए और न ही याचिकाकर्ता

द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष ऐसा कोई अनुरोध किया गया है। सीआरपीसी की धारा 427 और 428 निम्नानुसार पढ़ें.—

"427 अपराधी को पहले से ही एक अन्य अपराध के लिए सजा सुनाई गई है। (1) जब पहले से ही कारावास की सजा काट रहे किसी व्यक्ति को बाद में दोषी ठहराए जाने पर कारावास या आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है, तो ऐसा कारावास या आजीवन कारावास उस कारावास की समाप्ति पर शुरू होगा जिसके लिए उसे पहले सजा सुनाई गई है, जब तक कि न्यायालय यह निर्देश न दे कि अगली सजा ऐसी पिछली सजा के साथ-साथ चलेगी।

बशर्ते कि जहां एक व्यक्ति जिसे डिफ़ॉल्ट रूप से धारा 122 के तहत एक आदेश द्वारा कारावास की सजा सुनाई गई है
ऐसी सजा से गुजरते समय, इस तरह के आदेश देने से पहले एक अपराध समिति के लिए कारावास की सजा सुनाई जाती है, तो बाद में सजा तुरंत शुरू होगी।

2. जब कोई व्यक्ति जो पहले से ही आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, उसे बाद में दोषी ठहराए जाने पर आजीवन कारावास की अवधि के लिए कारावास की सजा सुनाई जाती है, तो बाद की सजा ऐसी पिछली सजा के साथ-साथ चलेगी।

428. अभियुक्त द्वारा बिताई गई हिरासत की अवधि कारावास की सजा के विरुद्ध निर्धारित की जाए- जब किसी अभियुक्त व्यक्ति को दोषी ठहराए जाने पर उसी मामले की जांच, पूछताछ या विचारण के दौरान और ऐसी दोषसिद्धि की तारीख से पहले उसके द्वारा बिताई गई हिरासत की अवधि, यदि कोई हो, जुर्माने का भुगतान करने में चूक के कारण कारावास की सजा सुनाई गई हो, तो कारावास की सजा सुनाई गई हो। ऐसी दोषसिद्धि पर उस पर लगाए गए कारावास की अवधि के विरुद्ध निर्धारित किया जाएगा , और ऐसी दोषसिद्धि पर कारावास की सजा भुगतने के लिए ऐसे व्यक्ति का दायित्व उस पर लगाए गए कारावास की शेष अवधि तक ही सीमित होगा।

10. ये दोनों प्रावधान नजाकत आलिया मुबारक अली के मामले (सुप्रा) के मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचार के लिए आए थे। सीआरपीसी की धारा 427 और 428 पर सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण निम्नानुसार है:—

> "संहिता की धारा 427 के ठीक नीचे उस धारा का प्लेसमेंट हमें पूर्ववर्ती धारा में झांकने के लिए प्रेरित करता है, जो उन उदाहरणों से संबंधित है जहां एक व्यक्ति को एक मामले में सजा सुनाई जाती है जब वह पहले से ही दूसरे मामले में सजा काट रहा है। धारा 427 की पहली उपधारा कहती है कि दूसरी दोषसिद्धि में सजा उस कारावास की समाप्ति पर शुरू होगी, जिसके लिए अभियुक्त को पहले सजा सुनाई गई है, "जब तक कि अदालत यह निर्देश न दे कि

बाद की सजा ऐसी पिछली सजा के साथ-साथ चलेगी। संहिता की धारा 427 की दूसरी उपधारा कहती है कि जब पहले से ही आजीवन कारावास की सजा काट रहे किसी व्यक्ति को बाद में दोषी ठहराए जाने पर एक अवधि के लिए कारावास या आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है, तो अगली सजा ऐसी पिछली सजा के साथ-साथ चलेगी।

इस प्रकार एक ही व्यक्ति को दो अलग-अलग अपराधों में दी गई आजीवन कारावास की सजा एक में परिवर्तित हो जाएगी और उसके बाद यह अकेले एक धारा के माध्यम से बह जाएगी। यहां तक कि अगर उन दो मामलों में से एक में सजा आजीवन कारावास नहीं है, लेकिन केवल एक छोटी अवधि है, तो अभिसरण होगा और अभिसरण के बाद प्रवाह उसी चैनल के माध्यम से होगा। अन्य सभी मामलों में, यह तय करने के लिए अदालत पर छोड़ दिया गया है कि दो अलग-अलग दोषसिद्धि में सजा को एक अवधि में विलय किया जाना चाहिए या नहीं। यदि न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है, तो दो सजाएं एक के बाद एक चलेंगी। धारा 427 के तहत कैदी को राहत प्रदान करने का कोई इरादा नहीं है। जब इस तरह का सुधार एक वैधानिक ऑपरेशन है, तो दूसरी उप-धारा के तहत आने वाले मामलों में यह अदालत के लिए पसंद का विषय है जब मामले पहली उप-धारा के भीतर आते हैं। बहरहाल, पूरे खंड का उद्देश्य एक कैदी को सहायता प्रदान करना है। इस प्रकार पूर्व प्रावधान के माध्यम से सफल खंड की झलक देखी जा सकती है।

(जोर जोड़ा गया)

11. सीआरपीसी की धारा 428 को लागू करने के लिए एक समिति की रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए, उनके लॉर्डशिप ने धारा 428 सीआरपीसी का लाभ देने से पहले दो आवश्यकताएं निर्धारित की हैं, अर्थात्, (1) किसी विशेष मामले की जांच, पूछताछ या परीक्षण के चरण के दौरान कैदी को कम से कम एक निश्चित अवधि के लिए जेल में होना चाहिए; और (2) उसे किस अवधि की सजा सुनाई जानी चाहिए थी?

उस मामले में कारावास। यह भी स्पष्ट है कि सजा उन मामलों में दी जाती है जहां किसी व्यक्ति को पहले से ही दोषी ठहराया जाता है और सजा काटते समय उसे आगे दोषी ठहराया जाता है। ऐसे मामलों में बाद में दोषसिद्धि के आदेश की तारीख से, दोषी को शेष सजा से गुजरना होता है, न कि पूरी सजा। हालांकि, अगर किसी अन्य मामले में उनकी आवश्यकता है, तो यह पूरी तरह से एक अलग मामला है। नजाकत अली के मामले (सुप्रा) में फैसले के पैराग्रह 16, 17 और 18 को पढ़ने से उपरोक्त स्थिति और स्पष्ट हो जाती है जो निम्नानुसार पढ़ी जाती है।

> "यदि उपरोक्त दो शर्तें पूरी हो जाती हैं तो प्रावधान का ऑपरेटिव हिस्सा लागू होता है यानी यदि दी गई कारावास की सजा जांच, पूछताछ या परीक्षण के चरणों के दौरान उसके द्वारा बिताई गई हिरासत की अवधि से अधिक है, तो दोषी व्यक्ति को कारावास की कुल अवधि में से पहले की अवधि को काटने के बाद कारावास की केवल शेष अवधि से गुजरना होगा। धारा में "यदि कोई हो" शब्द इस बात को बढ़ाते हैं कि यदि इस तरह की कटौती के बाद कोई शेष अवधि नहीं बची है, तो दोषी तब तक जेल से मुक्त होने का हकदार होगा जब तक कि उसे किसी अन्य मामले में दोषी नहीं ठहराया जाता है। दूसरे शब्दों में, यदि दोषी किसी विशेष मामले की जांच, पूछताछ या परीक्षण के चरणों के दौरान, किसी भी कारण से जेल में था और बाद में उसे दोषी ठहराया गया था और उस मामले में कारावास की किसी भी अवधि की सजा सुनाई गई थी, तो उसके द्वारा बिताई गई हिरासत की पिछली अवधि को उस पर लगाई गई सजा के हिस्से के रूप में गिना जाना चाहिए।
>
> (जोर जोड़ा गया)

उपर्युक्त संदर्भ में, यह इंगित करना उचित है कि अक्सर ऐसा होता है, जब किसी अभियुक्त को अपराधों के विभिन्न मामलों के तहत एक मामले में दोषी ठहराया जाता है और ऐसी प्रत्येक गिनती के तहत कारावास की अलग-अलग अवधि की सजा

सुनाई जाती है, तो ऐसी सभी सजाएं साथ-साथ चलने के लिए निर्देशित की जाती हैं। इसके पीछे विचार यह है कि अपराध के एक मामले के लिए उसे जो कारावास भुगतना होगा, वह वास्तव में और वास्तव में अन्य मामलों के लिए भी कारावास होगा।

460

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में संहिता की धारा 428 को पढ़ते हुए, "उसी मामले के" शब्दों को यह सुझाव देने के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए कि सेट-ऑफ केवल तभी स्वीकार्य है जब पहले की जेल की अवधि उसके द्वारा विशेष रूप से उस सजा के लिए बिताई गई थी जिसमें सजा सुनाई गई थी। जिस अवधि के दौरान अभियुक्त किसी विशेष मामले की शुरुआत के बाद जेल में था, उसे उस विशेष मामले में सजा के रूप में दी गई कारावास की अवधि के लिए श्रेय दिया जाना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उक्त अवधि के दौरान कैदी एक अन्य मामले में भी कारावास की सजा काट रहा था। "एक ही मामले के" शब्दों का उपयोग उनके द्वारा निरोध की पूर्व-सजा अवधि को संदर्भित करने के लिए किया गया था। इन शब्दों के संयोजन से और कुछ नहीं बनाया जा सकता है।

12. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए। मेरा विचार है कि याचिकाकर्ता को जेल से रिहा नहीं किया जा सकता है, भले ही यह मान लिया जाए कि वह विभिन्न मामलों में दोषसिद्धि के कारण दी गई सजा काट चुका है क्योंकि पहली बात तो यह है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कई मामले लंबित हैं और दूसरी बात यह है कि मुआवजा/जुर्माना न देने के बदले उसे अपनी सजा पूरी करनी है। नजाकत आलिया मुबारक अली के मामले (सुप्रा) में फैसले का यह सटीक अनुपात है, जैसा कि रेखांकित हिस्से से पता चलता है। इसके अलावा, सीआरपीसी की धारा 258 के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा याचिकाकर्ता को आरोपमुक्त करने का कोई आदेश पारित नहीं किया गया है और न ही सीआरपीसी की धारा 427 के तहत किसी मजिस्ट्रेट द्वारा कोई आदेश पारित किया गया है, जिसमें निर्देश दिया गया है कि सजा किसी भी पिछले सजा के साथ-साथ चलेगी। रिकॉर्ड

पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिससे पता चले कि अपील या पुनरीक्षण पर किसी भी वरिष्ठ अदालत ने सजा को साथ-साथ चलाने का निर्देश दिया है। इसलिए, इस याचिका में कोई दम नहीं है और इसे खारिज किया जा सकता है।

13. ऊपर बताए गए कारणों के लिए, यह याचिका विफल हो जाती है और इसे खारिज कर दिया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

लक्ष्य गर्ग
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
चरखी दादरी , हरियाणा